

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक..... /

पटना, दिनांक.....

सं०सं०-०३/उ०नि०/जि०उ०के०(जी०र्ण०)-०५/१८

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर, हाजीपुर (वैशाली), खगड़िया, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ एवं सहरसा के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार हेतु द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में शेष ₹5,37,33,103.00 (पाँच करोड़ सैतीस लाख तैतीस हजार एक सौ तीन रूपये) मात्र की विमुक्ति/निकासी के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-75, दिनांक-04.01.2019 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर, हाजीपुर (वैशाली), खगड़िया, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ एवं सहरसा के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार हेतु द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में शेष ₹5,37,33,103.00 (पाँच करोड़ सैतीस लाख तैतीस हजार एक सौ तीन रूपये) मात्र की विमुक्ति/निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना को नामित किया गया है।

(3) यह राज्य सरकार की चालू योजना है।

(4) उक्त योजना हेतु प्रस्तावित राशि का व्यय वहन मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद के अन्तर्गत ₹5,37,33,103.00 (पाँच करोड़ सैतीस लाख तैतीस हजार एक सौ तीन रूपये) मात्र पुनर्विनियोग के माध्यम से विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक सं०-1615, दिनांक-28.03.2019 द्वारा उपबंधित राशि से विकलीत होगा।

(5) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना के PL Account-PLA-268 में उपलब्ध करायेंगे।

(6) इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

(7) राशि की निकासी कोषागार फार्म सं०-46 पर की जायेगी।

(8) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-

सं०सं०-०३/उ०नि०/जि०उ०के०(जी०र्ण०)-०५/१८ के पृष्ठ-17/टि० पर दिनांक-01.01.2019 को प्राप्त है।

(9) वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

संसं-03/उनि०/जि०उ०के०(जिर्ण०)-05/18

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

संसं-03/उनि०/जि०उ०के०(जिर्ण०)-05/18

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.28.3.19

ज्ञापांक...1616...../

संसं-03/उनि०/जि०उ०के०(जिर्ण०)-05/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०)/प्रशाखा-1 योजना (स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।